



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ज्येष्ठ 3, 1940

No. 188]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/JYAISTHA 3, 1940

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

अधिसूचना

नागपुर, 25 अप्रैल, 2018

**सं. सी-284/3/सी.एम.जी./2017.—1.** भारतीय खान ब्यूरो (तत्पश्चात आईबीएम के रूप में संदर्भित) को खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 12 के उप-नियम 7 के अंतर्गत आवधिक रूप से खनिजों के देहरीमान मूल्य की समीक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

2. आईबीएम ने पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2009 के द्वारा अधिसूचित खनिजों के देहरीमान मूल्य के संशोधन के संबंध में हितधारकों एवं सामान्य जनता से दिनांक 24.3.2017 के अपने वेबसाइट में प्रकाशित सूचना द्वारा टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किया था। इस सूचना के प्रत्युत्तर में हितधारकों से अनेक सुझाव और टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

3. आईबीएम ने खनिजों के देहरीमान मूल्य के संशोधन के संबंध में हितधारकों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और चिंताओं पर विचार – विमर्श करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर पांच तकनीकी कार्यशालाएं और राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यशाला का संचालन किया।

4. हितधारकों के सुझावों और टिप्पणियों की सावधानीपूर्वक जांच के पश्चात इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा एवं समिति की सिफारिशों के आधार पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 12 के उप-नियम 6 के अंतर्गत निम्नलिखित खनिजों का देहरीमान मूल्य एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचना, फाइल सं. टी-45031/सीजीबीएम / 2007 (पीएफ), दिनांक 16 अक्टूबर 2009 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना का अधिक्रमण करती है।

5. यह अधिसूचना, भारत की राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

6. खनिजों के देहरीमान मूल्य

क्र.सं.	खनिज	देहरीमान मूल्य
1	एपेटाइट एवं रॉक फॉस्फेट	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5% (न्यूनतम)
2	बॉक्साइट	(i) अल्युमिनियम युक्त लैटेराइट के लिए - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 20% (न्यूनतम) (ii) बॉक्साइट के लिए - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 30% (न्यूनतम) एवं SiO <sub>2</sub> (कुल)-7% (अधिकतम)
3	क्रोमाइट	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -10% (न्यूनतम)
4	फ्लोराइट	CaF <sub>2</sub> -5% (न्यूनतम)
5	ग्रैफाइट	(i) फ्लेकी वेरायटी- 2% फिक्स्ड कार्बन (F.C) (न्यूनतम) (ii) अरूप वेरायटी हेतु - 10% फिक्स्ड कार्बन (F.C) (न्यूनतम)
6	लौह अयस्क	(i)# हेमाटाइटिक अयस्क - 45% Fe (न्यूनतम) (ii) ^ हेमाटाइटिक सिलिकायुक्त अयस्क - 35% Fe (न्यूनतम) (iii) *मैग्नेटाइट अयस्क -15% Fe (न्यूनतम)
7	कायनाइट एवं सिलिमनाइट	35% (न्यूनतम) कायनाइट / * सिलिमनाइट कन्टेंट * वीचसैण्ड के सिलिमनाइट पर लागू नहीं है
8	चूना पत्थर	CaO- 34% (न्यूनतम) एवं MgO-5% (अधिकतम)
9	मैग्नेसाइट	MgO -35% (न्यूनतम), CaO-3% (अधिकतम), Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 3% (अधिकतम)
10	मैगनीज अयस्क	Mn - 10% (न्यूनतम)
11	वोलेस्टोनाइट	35% (न्यूनतम) वोलेस्टोनाइट कन्टेंट

7. इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -

- "खनिजों का देहरीमान मूल्य" का अर्थ खनिज (साक्ष्य और खनिज सामग्री) नियम, 2015 में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।
- "हेमाटाइटिक अयस्क" का अर्थ ऐसे अयस्क से है जिसमें आयरन की मौजूदगी मुख्यतः हेमाटाइट के रूप में हो।
- "हेमाटाइटिक सिलिकायुक्त अयस्क" का अर्थ ऐसे सिलिकायुक्त अयस्क से है जिसके गैंग में सिलिका की मौजूदगी मुख्यतः क्वार्ट्ज / चर्ट से है साथ ही ऐसे अयस्क से है जिसमें आयरन की मौजूदगी मुख्यतः हेमाटाइट के रूप में एवं अधीनस्थ के रूप में लघु मात्रा में मार्टिटाइज्ड मैग्नेटाइट / माघेमाइट हो।
- "मैग्नेटाइट अयस्क" का अर्थ ऐसे अयस्क से है जिसमें आयरन की मौजूदगी मुख्यतः मैग्नेटाइट के रूप में एवं अधीनस्थ के रूप में लघु मात्रा में मार्टिटाइज्ड मैग्नेटाइट / माघेमाइट हो।
- "कट ऑफ ग्रेड" का अर्थ निक्षेप हेतु खनिज के न्यूनतम आर्थिक एसे ग्रेड है जिसके नीचे वर्तमान बाजार उच्च - निच अथवा अंत उपयोग की गुणवत्ता में खनन प्रचालन अव्यवहार्य हो जाता है। यह बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए निक्षेप - निक्षेप से भिन्न होता है।

8. सभी पट्टाधारकों को एतद् द्वारा निम्नलिखित का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाता है:-

- सभी संसाधनों का देहरीमान मूल्य तक मूल्यांकन किया जाएगा तथा देहरीमान मूल्य और कट ऑफ ग्रेड के बीच संसाधनों को अलग - अलग संसूचित किया जाएगा। तथापि देहरीमान मूल्य से नीचे संसाधनों के आकलन में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यदि ऐसे खनिज / अयस्क का प्रत्यक्ष रूप से अथवा सज्जीकरण के पश्चात बाजार है।
- देहरीमान मूल्य में निर्धारित सीमा से ऊपर तथा कट ऑफ ग्रेड से नीचे गैर -बिक्री योग्य / अनुपयोगी खनिजों / अयस्कों को अलग से चिन्हित क्षेत्र में जमा किया जाएगा।
- खनिजों के देहरीमान मूल्य में निर्धारित सीमा से ऊपर तथा कट ऑफ ग्रेड से नीचे खनिज / अयस्क स्टॉक की सूची का एक रजिस्टर में रख - रखाव किया जाएगा जिसमें जमा की गई सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता को दर्शाया जाएगा। ऐसी वस्तुओं की माहवार सूची को अद्यतन किया जाता रहेगा।

- (घ) खनन संचालन के दौरान प्राप्त ओवरबर्डन एवं अपशिष्ट पदार्थ को जमा की गई खनिजों के देहरीमान मूल्यों से ऊपर की वस्तुओं के साथ मिश्रित करने की अनुमति नहीं होगी।

रंजन सहाय, महानियंत्रक

**MINISTRY OF MINES**  
(INDIAN BUREAU OF MINES)  
**NOTIFICATION**

Nagpur, the 25th April, 2018

**No. C-284/3/CMG/2017.**—1. Indian Bureau of Mines (herein after referred to as IBM) is vested with the responsibility to review the threshold value of minerals periodically under sub rule 7 of rule 12 of Mineral Conservation and Development Rules, 2017.

2. IBM, through notice published in the website of IBM on 24.3.2017, had invited comments and suggestions from the stakeholders and general public with regard to revision of the threshold value of minerals notified previously on 16<sup>th</sup> October 2009. In response to the notice many suggestions and comments were received from the stake holders.

3. IBM also conducted five Regional Level technical workshops and a National Level workshop to discuss various issues and concerns raised by the stake holders with regard to the revision of the threshold value of minerals.

4. After careful examination of the suggestions and comments of the stakeholders through an expert committee constituted for the purpose and based on the recommendations of the committee, the threshold value of following minerals are hereby notified under sub rule 6 of rule 12 of Mineral Conservation and Development Rules 2017. This notification supersedes the notification issued earlier vide file No.T-45031/CGBM/2007 (PF) dated 16<sup>th</sup> October 2009.

5. This notification shall be effective from the date of its notification in the gazette of India.

**6. THRESHOLD VALUE OF MINERALS**

S.No.	MINERAL	THRESHOLD VALUE
1	Apatite & Rock Phosphate	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5%(Min.)
2	Bauxite	(i) For Aluminous laterite: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 20% (Min.) (ii) For Bauxite: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 30% (Min.) and SiO <sub>2</sub> (Total)-7% (Max.)
3	Chromite	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -10%(Min.)
4	Fluorite	CaF <sub>2</sub> -5%(Min.)
5	Graphite	(i) For flaky variety- 2% Fixed Carbon(F.C) (Min.) (ii) For amorphous variety - 10% Fixed Carbon(F.C)(Min.)
6	Iron Ore	(i) <sup>#</sup> Hematitic Ore - 45% Fe(Min.) (ii) <sup>^</sup> Hematitic Siliceous Ore - 35% Fe(Min.) (iii) <sup>*</sup> Magnetite Ore-15% Fe (Min.)
7	Kyanite & Sillimanite	35% (Min) Kyanite/ <sup>*</sup> Sillimanite content <sup>*</sup> Not applicable to sillimanite of beachsand
8	Limestone	CaO- 34% (Min.) and MgO-5% (Max.)
9	Magnesite	MgO -35% (Min.), CaO-3% (Max.), Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - 3% (Max.)
10	Manganese Ore	Mn - 10% (Min.)
11	Wollastonite	35%(Min.) Wollastonite content

7. For the purpose of this notification :

- “**threshold value of minerals**” will have meaning as defined in Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rule, 2015.
- <sup>#</sup>“**hematitic ore**” means Fe content in the ore is contributed predominantly by presence of hematite.
- <sup>^</sup>“**hematitic siliceous ore**” means silica in the ore is contributed predominantly due to presence of quartz/chert in the gangue and Fe in the ore is contributed predominantly by presence of hematite and subordinate to minor amounts of martitised magnetite/maghemite.
- <sup>\*</sup>“**magnetite ore**” means Fe content in the ore is contributed predominantly by presence of magnetite and subordinate to minor amounts of martitised magnetite/ maghemite.

- e. **“cut off grade”** means the minimum economic assay grade of the mineral for a deposit below which the mining operations become unviable in the present market dynamics or end use quality. It may vary from deposit to deposit depending upon the market conditions.
8. All the lessee's are hereby directed to comply with the following:
- a. All resources shall be assessed up to the threshold value and the resources between the threshold value and the cut-off grade shall be reported separately. There will however be no restrictions in estimating resources below the threshold value if there is a ready market of such mineral/ore either directly or after beneficiation.
  - b. The non-saleable/un-usable minerals/ ores above the limit prescribed in the threshold value and below the cut off grade shall be stacked separately in an area earmarked for the purpose.
  - c. The inventory of mineral/ ore stock above the limit prescribed in the threshold values of minerals and below the cut off grade shall be maintained in a bound register indicating the quantity and quality of material stacked. The month wise inventory of such materials shall be updated.
  - d. The overburden and waste material obtained during mining operation shall not be allowed to be mixed with the materials above the threshold values of minerals stacked.

RANJAN SAHAI, Controller General